

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, करौली
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कैम्प मांची

558
19/6/18

—: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी मांची व भू-अभिलेख निरीक्षक सुडला की रिपोर्ट तथा तहसीलदार करौली / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम दीपपुरा तहसील करौली व जिला करौली की जमाबन्दी सम्बन्ध 2073-76 में खाता संख्या 8 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।)
1	दीपपुरा	8	अतरवाई देवा रामखिखड़ी हि 1/5 पप्पू किशोरी हरीलाल गोपाल अर्जुन स्वकप फि धमण्डी मीरा पुत्री धमण्डी हि 1/5 अमर सिंह जयराम फि. निरमोली शान्ति देवा निरमोली हि 1/5 कल्याण रामसिंह रविन्दु सिंह फि सुगन्या सु. सोमोरी देवा सुगन्या हि 4/25 विला रहन अंबर लाल पुत्र लुगन्या हि 1/25 राहिन परिधोजन पुवन्धक अनु. जाति जन जाति वित एवं विनास निगम शाखा करौली सुभा लाल अर सिंह दौसीया फि पाच्या व पाने देवा पांच्या हि 1/5 कैम्प 25 मार सं. डेड नं. 435	अतरवाई देवा रामखिखड़ी हि 1/5 पप्पू किशोरी हरीलाल गोपाल अर्जुन स्वकप फि धमण्डी मीरा पुत्री धमण्डी हि 1/5 अमर सिंह जयराम फि. निरमोली शान्ति देवा निरमोली हि 1/5 कल्याण रामसिंह रविन्दु सिंह फि सुगन्या सु. सोमोरी देवा सुगन्या हि 4/25 विला रहन अंबर लाल पुत्र लुगन्या हि 1/25 राहिन परिधोजन पुवन्धक अनु. जाति जन जाति वित एवं विनास निगम शाखा करौली सुभा लाल अर सिंह दौसीया फि पाच्या व पाने देवा पांच्या हि 1/5 कैम्प जाटव सां डेड नं. 435

(
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत, कैम्प मांची
उप खण्ड अधिकारी, करौली

क्रमांक :-
प्रतिलिपि :-

दिनांक :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
को सचनार्थ।